

(42)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
04/2019/प्रा.पत्र/2019

तारीख दायरा
11.01.2019

तारीख निर्णय
15.03.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री रामबिलास शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा विक्रेता मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प सर्किल देवली जिला टोंक निवासी केयर ऑफ हरिमोहन हल्दिया पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0
- 2-रामकिशन शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प सर्किल देवली जिला टोंक निवासी केयर ऑफ हरिमोहन हल्दिया पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0
- 3- मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प सर्किल देवली जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) उपस्थित—

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 15.03.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.07.2018 को समय 4.10 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प सर्किल देवली जिला टोंक पर पहुंचा। एफ.बी.ओ. रामबिलास शर्मा एफ.बी.ओ. रामबिलास शर्मा मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प सर्किल देवली जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में घी खुला (Ghee Loose) रखी हुई थी, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री रामबिलास शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता रामबिलास शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में घी खुला (Ghee Loose) एल्यूमिनियम केन में रखे हुये 30-32 किलोग्राम में से 800 ग्राम घी खुला का चयन किया। वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये 800 ग्राम घी खुला एक स्टील के जग में वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री रामबिलास शर्मा को रू0 312/-अक्षरे तीन सो बारह रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा घी खुला (Ghee Loose) 800 ग्राम को अलग-अलग 200-200 ग्राम के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग-अलग साफ व सूखी कौंच की शिशियो में भरकर अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1914 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

752



चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1914 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. रामबिलास शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/2158 दिनांक 14.08.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/372/एक्ट/2018/377 दिनांक 30.07.2018 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 31.12.2018 के अनुसार रामबिलास शर्मा से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया घी खुला (Ghee Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2 (ii) & 3(1) (zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का घी खुला (Ghee Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थी रामबिलास शर्मा ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी खुला (Ghee Loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच अवमानक (Sub-Standard) में स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी खुला (Ghee Loose) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी रामकिशन शर्मा को सुना गया। उसे भविष्य में तय मानको के मुताबिक ही खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थी रामबिलास शर्मा के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी श्री रामबिलास शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा विक्रेता मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प सर्किल देवली जिला टोंक निवासी केयर ऑफ हरिमोहन हल्दिया पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ती 21,000/- (अक्षरे इक्कीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.03.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्यायनिर्णयन जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0